

प्रेस विज्ञप्ति

संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली द्वारा प्रदर्शनकारी कलाओं (संगीत, नृत्य, नाटक, लोक एवं जनजाति व पुतुल इत्यादि) को प्रोत्साहन/प्रोत्साहित करने वाली पंजीकृत "सांस्कृतिक संस्थाओं" को प्रत्येक वर्ष "वित्तीय सहायता अनुदान" प्रदान की जाती है। अकादेमी द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए सभी पंजीकृत सांस्कृतिक संस्थाओं (जो भारतीय संगीत, नृत्य, नाटक, लोक एवं जनजाति व पुतुल इत्यादि कलाओं को प्रोत्साहित करती हों) से वित्तीय सहायता अनुदान राशि हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियम व शर्तें निम्न हैं:-

1. "वित्तीय सहायता अनुदान" आवेदन फार्म अकादेमी कार्यालय की वेबसाइट www.sangeetnatak.gov.in से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
2. आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30.09.2020 तक है। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. सम्पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (सभी दस्तेवेजो समेत) स्पीड पोस्ट द्वारा संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली अथवा ई-मेल (grants@sangeetnatak.gov.in) द्वारा भेजे जा सकते हैं। ई-मेल से भेजी जाने वाले पत्र तभी मान्य होंगे जब तक मूलप्रति अकादेमी को प्राप्त नहीं हो जाती।
4. आवेदन करने वाली संस्था का पंजीकरण कम से कम तीन वर्ष पहले का होना चाहिए।
5. आवेदन फार्म के साथ संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र, पिछले तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट एवं पिछली सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे:- पेपर क्लीपिंग, फोटो ग्राफ्स इत्यादि की स्वयं सत्यापित छाया प्रति संलग्न होनी चाहिए।
6. अकादेमी द्वारा जिन संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत होगा उनकी सूची अकादेमी की उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
7. वैसे लोगों को वरीयता दी जाएगी, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई अनुदान जारी नहीं किया गया है।
8. अनुदान समिति की बैठक के मिनट्स को अंतिम रूप देते समय धन की उपलब्धता के अधीन ही अनुदान के लिए आए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
9. अधिक जानकारी संगीत नाटक अकादेमी की वेबसाइट www.sangeetnatak.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

उप सचिव (वित्त एवं लेखा)
संगीत नाटक अकादेमी
रवीन्द्र भवन फिरोजशाह रोड
नई दिल्ली-110001

फोन:- 011-23381833,23387246/47/48